रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112024-258458 CG-DL-E-05112024-258458

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4409]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946

No. 4409]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 नवम्बर. 2024

का.आ. 4790(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु- :

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ——(1)** इन नियमों का सक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण (जांच की पद्धित और शास्ति का अधिरोपण) नियम, **2024** कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) " अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986) 1986 का 29) अभिप्रेत है;
 - (ख) " न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 15ग के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ग) "रूप" से इन नियमों के साथ संलग्न रूप अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पर्दों को जो इनमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

7143 GI/2024 (1)

- 3. शिकायत —केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड,राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण सिमितियां, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग तथा पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अपने प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से, अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति , अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 10 और 11 के तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायानिर्णायक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्पीड पोस्ट से या व्यकितगत रूप से प्रपत्र-1 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- 4. जांच करना —(1) अधिनियम की धारा 15ग के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र-II में नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (उसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन से कम नहीं होगी) क्यों उसके विरूद्ध जांच नहीं होनी चाहिए।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में कथित रूप से किए गए उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि एक जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी तारीख को पेश होने की अपेक्षा के लिए एक नोटिस जारी करेगा जो नोटिस में तय की जा सकेगी।
- (4) नियत तारीख पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि जिसके विरुद्ध कार्यावाही की जा रही है को ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और अधिनियम के उपबंध के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
- (5) न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को रूप-III के अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को भविष्य की तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और ऐसे साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति से साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है और उसे इसके लिए बाध्य कर सकता है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।
- (7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल होता है, उपेक्षा या उपस्थित होने से इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के बाद ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकेगा।
- (8) यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जिसे वह युक्तियुक्त समझता है।
- (9) उप-नियम (8) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और इसमें शास्ति अधिरोपण के कारण सम्मिलित होंगे।
- (10) इस नियम के अधीन जारी किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता और उस व्यक्ति को नि:शुल्क आपूर्ति की जाएंगी जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।
- (11) न्यायनिर्णायक अधिकारी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

(12) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जांच की जाती है, निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील की जाएगी-

- (i) उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को परिदान या निविदान द्वारा; अथवा
- (ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा व्यक्ति को उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान पर भेजकर जहां उसने व्यवसाय किया या अंतिम बार व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया या लाभ के लिए अंतिम बार काम किया हो; अथवा
- (iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन निर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे बाहरी दरवाजे या परिसर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर तामील की जा सकती है, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम निवास करने या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से काम करने या लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है।
- 5. शिकायत का हस्तांतरण -(1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है या यह प्रकट किया जाता है कि उसके पास इन नियमों के अधीन किसी शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह ऐसी शिकायत या जानकारी की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को हस्तांतरित करेगा।
- (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला हस्तांतरित किया जाता है, वह उस जांच को उस चरण से आगे बढ़ाएगा जहां पर उसे हस्तांतरित किया जाता है।
- 6. शास्ति की मात्रा निर्धारण के दौरान विचार किए जाने वाले कारक न्यायनिर्णायक अधिकारी, शास्ति की मात्रा का न्याय निर्णय करते समय, अधिनियम की धारा 15ग की उपधारा (4) में वर्णित कारक के अतिरिक्त सभी या किन्हीं निम्नलिखित कारकों को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा, अर्थात:
- (क) परियोजना के परिचालन का स्थान:
- (ख) परियोजना का आकार चाहे बड़ा, मध्यम या छोटा;
- (ग) उद्योग की श्रेणी;
- (घ) उल्लंघन या अतिक्रमण का प्रकार जैसे कि.-
 - (i) अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन सप्रेक्षित पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना काम करना;
 - (ii) अधिनियम के अधीन निर्धारित पर्यावरण सुरक्षा उपायों और मानकों का गैर-अनुपालन;
 - (iii) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना के अंतर्गत दी गई पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन;
 - (iv) आदेशों या निर्देशों का गैर-अनुपालन;
- (ङ) अधिनियम के अधीन निर्धारित मानक से भिन्नता या उल्लंघन की मात्रा;
- (च) स्वास्थ्य प्रभाव या नुकसान होने की संभावना;
- (छ) उल्लंघन या गैर-अनुपालन से प्राप्त अनुचित लाभ या फायदा;
- (ज) उल्लंघन या गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की बनाई गई राशि, जहां भी मात्रात्मक हो;

(झ) उल्लंघन या गैर-अनुपालन को दोहराए जाने की प्रकृति;

शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:

टिप्पण. –जो लागू नहीं है उसे काट दीजिए।

3.

- (অ) कोई अन्य कारक जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुसंगत माना जाता है।
- 7. समयावधि का विस्तार —न्यायनिर्णायक अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जहां देरी या कार्य करने में विफलता का उचित कारण है, इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकता है जिसे वह उचित समझता है।
- 8. आदेश और शास्तियां —(1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित और सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा।
- (2) इन नियमों के अधीन शास्ति के माध्यम से वसूल की गई सभी धनराशियां अधिनियम के 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएंगी।

रूप 1

(ानयम 3 दाखए)
सेवा में,
न्यायनिर्णायक अधिकारी
1. शिकायतकर्ता की विशिष्टियां: -
(क) नाम:
(ख) डाक पता:
(ग) संपर्क सं.:
(घ) ईमेल (संपर्क हेतु):
2. शिकायत की विशिष्टियां: -
(क) कथित उल्लंघन की तारीख, समय और घटना:
(ख) सभी सुसंगत जानकारी की विशिष्टियों को दर्शाते हुए उल्लंघन का विवरण:
(ग) विवरण के समर्थन में साक्ष्य:
(घ) लागत के ब्यौरे सहित क्षति की अनंतिम मात्रा (आर्थिक रूप से)।
मैं/हम, शिकायतकर्ताइसमें यह घोषित करता हूँ कि यहां बताए गए तथ्य मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं।

रूप–॥

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

वा में
कारण बताओ सूचना
वेषय: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन।
होदय/महोदया,
तारीख को प्रपत्र-I (प्रतिलिपि संलग्न) में प्राप्त शिकायत के अनुसार
में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ो धारा के अंतर्गत उल्लंघन किया गया है।
. उपर्युक्त उल्लंघन शास्ति के लिए उत्तरदायी है। अत:, आपको यह बताना होगा कि इस सूचना की तामील के दिनों
ो अवधि के भीतर जुर्माना लगाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन आपके विरुद्ध जांच क्यों नहीं
रू की जानी चाहिए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की । गर्रवाई की जाएगी।
न्यायनिर्णायक अधिकारी
(कार्यालय का नाम और मोहर)

रूप-				
उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना				
	[नियम निय-का उप 4(5) देखिए]			
सेवा	में			
न्याय	मिर्णायक अधिकारी			
1.	मैं/हम,			
	प्ररूप-l में की गई शिकायत का प्रतिकथन प्रस्तुत कर रहे हैं			
	जिन आधारों पर प्रतिकथन प्रस्तुत किया गया है वह निम्नानुसार हैं: -			
2.	मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ-कोड और/			
	पोस्टल इंडेक्स नंबर राज्य सहित पूरा पता।			
3.	उल्लंघनकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:			
4.	हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और			
	मोबाइल नंबर।			

[फा. सं. IA-Z-11013/20/2022-IA-II(IND-I)]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2024

- **S.O. 4790(E).**—In exercise of the powers conferred by section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Environment Protection (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2.**Definitions.** —(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
- (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) "adjudicating officer" means an officer appointed under section 15C of the Act;
- (c) "form" means a form appended to these rules.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act
- 3. **Complaint.** —The Central Pollution Board, State Pollution Control Boards, Pollution Control Committees, Commission for Air Quality Management and Integrated Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in their respective jurisdictions, through their authorized Officers, or any other persons, may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under sections 7, 8, 9, 10 and 11 of the Act.
- 4. Holding of Inquiry. (1) For the purpose of adjudication under section 15C of the Act whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer within thirty days from the date of receipt of the complaint shall, issue a notice in Form-II to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fifteen days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.
 - (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
- (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a legal representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
- (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised legal representative, the contravention, committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.
- (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
- (6) While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
- (8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.
- (9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
- (10) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.
- (11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the opposite party.

- (12) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner,-
- (i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
- (ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
- (iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.
- 5. Transfer of complaint.- (1) If the adjudicating officer is of the view or it is made to appear that he does not have jurisdiction to entertain any complaint under these rules, he shall transfer the matter to the adjudicating officer concerned within fifteen days of the receipt of such complaint or information made to him after reasons to be recorded in writing.
- (2) The adjudicating officer to whom such case is transferred shall proceed with the inquiry from the stage it is transferred to him.
- 6. Factors to be considered while determining quantum of penalty.- The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty shall have due regard to all or any the following factors in addition to factor stated in sub-section (4) of section 15 C of the Act, namely:
- (a) place of operation of project;
- (b) size of the project whether large, medium or Small;
- (c) category of industry;
- (d) type of contravention or violation such as,-
 - (i) working without prior environment clearance as required under the notification number
 - S.O 1533(E) dated the 14th September, 2006 issued under the Act;
 - (ii) non-compliance of environmental safeguards and standards prescribed under the Act;
 - (iii) violation of conditions of environment clearances granted under the notification referred to in sub-section
 - (iv) non- compliances of orders or directions;
- (e) quantum of deviation or contravention from the standard prescribed under the Act;
- (f) health impacts or loss likely to be caused;
- (g) undue gain or benefit derived out of contravention or non-compliance;
- (h) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention or non-compliance;
- (i) the repetitive nature of the contravention or non-compliance;
- (j) any other factor as may be considered by the adjudicating officer to be relevant for the protection of environment.
- **7. Extension of time.** —The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.
- **8. Order and penalties.** —(1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.
- (2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Environment Protection Fund established under 16 of the Act.

[भाग]]	I—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण	9
	FORM I	
	(see rule 3)	
To,		
The A	Adjudication Officer	
1.Parti	icular of complainant: -	
(a) Nar	me:	
	(b) Address for service:	
	(c) Contact No:	
	(d) Email (for service):	
2. Parti	ticulars of complaint: -	
	(a) Date, time and instance of commission of the alleged contravention:	
	(b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars:	
	(c) Evidence in support of the statement:	
	(d) Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.	
	, the complainantherein declare that the facts stated herein are correct r knowledge.	to the best of
3.	Name and Signature of the Complainant:	
Note	– Strike out whichever is not applicable.	
	Form –II	
	[See sub- rule (1) of rule 4]	
То		
	SHOW CAUSE NOTICE	
	SHOW CAUSE NOTICE	

Sub: Contravention of the Environment Protection Act, 1986.

Sir/Madam,

As per the complaint received in Form-I dated (copy enclosed), contravention has been section ----- of the Environment(Protection) 1986 under

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ----days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under the Environment (Protection) Act, 1986 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.

Adjudicating Officer

(Name and seal of the office)

	FORM-III			
	Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener			
	[See sub-rule (5) of rule 4]			
То				
Adj	udication Officer			
1.	I/We,			
	hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I			
	The grounds in which the counter statement is made are as follows: -			
2.	Complete address including postal index			
	number/code and state along with mobile number and e-mail.			
3.	Signature of the contravener or his			
	authorised representative:			
4.	Name of the person along with mobile			
	number who has signed.			

[F. No. IA-Z-11013/20/2022-IA-II(IND-I)] VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.